कार्यालय केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय संत कबीर नगर।

नीलामी सूचना

दिनाँक 19.03.2021

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए माननीय जनपद न्यायाधीश संत कबीर नगर द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन जनपद न्यायालय परिसर संत कबीर नगर में स्थित अस्थायी दुकानों एवं वाहन स्टैण्ड की नीलामी माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा गठित नीलामी समिति की उपस्थिति में दिनाँक 24.03.2021 को अपराह्न 02.00 बजे न्यायालय भवन के भूतल में स्थित सभागार कक्ष में सम्पन्न की जायेगी।

इच्छुक व्यक्ति नियत तिथि, समय एवं स्थान पर नीलामी में भाग लेने हेतु अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर आई डी) के साथ उपस्थित हो।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में नीलाम होने वाली अस्थाई दुकानों/वाहन स्टैण्ड का विवरण

क्रम संख्या	स्थल का नाम	प्रयोजन
01.	अधिवक्ता चैम्बर के दक्षिण की तरफ खड़ंजे के बगल पूर्वी छोर में (25×19) फीट, **दुकान नं 01**	जलपान
02.	अधिवक्ता चैम्बर के दक्षिण की तरफ खड़ंजे के बगल पश्चिमी छोर में (25×19) फीट, **दुकान नं 06**	जलपान
03.	अधिवक्ता चैम्बर के दक्षिण की तरफ खड़ंजे के बगल में (20×19) फीट, **दुकान नं 03**	फल एवं फल जूस
04.	अधिवक्ता चैम्बर के दक्षिण की तरफ खड़ंजे के बगल में (10×19) फीट, **दुकान नं 02**	फोटोस्टेट
05.	अधिवक्ता चैम्बर के दक्षिण की तरफ खड़ंजे के बगल में (10×19) फीट, **दुकान नं 05**	फोटोस्टेट
06.	अधिवक्ता चैम्बर के दक्षिण की तरफ खड़ंजे के बगल में (08×19) फीट, **दुकान नं 04**	फोटोग्राफी

अस्थाई वाहन पार्किंग का विवरण

1.	न्यायालय परिसर संत कबीर नगर में स्थित ADR भवन के दक्षिण तरफ **(20814 वर्ग फीट)**	स्टैण्ड /पार्किंग

यह ठेका दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2022 तक के लिए वैध होगी।

जिस ठेकेदार के यहॉ ठेके से सम्बन्धित कोई भी धनराशि किसी भी समय का बकाया है, उसको या उसके परिवार के सदस्यों को या प्रतिनिधि को नीलामी में भाग लेने का अधिकार नही होगा। यदि किसी प्रकार वह व्यक्ति ठेका प्राप्त कर लेता है को इसकी जानकारी होने पर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा और उक्त दुकान की पुनः बोली करा दी जायेगी।

नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को बोली बोलने हेतु सरकारी बोली (विगत वित्तीय वर्ष की बोली की धनराशि पर 10 प्रतिशत जोड़कर) की 10 प्रतिशत धनराशि जमानत के रूप में जमा करना होगा। बोलीकर्ता को जमानत धनराशि जमा करने के उपरान्त ही बोली बोलने का अधिकार होगा।

उपरोक्त से सम्बन्धित जमा की जाने वाली धनराशि नगद जमा की जायेगी, किसी प्रकार का चेक/ड्राफ्ट/बिल आदि ग्रहण नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त नीलामी की तिथि में किसी प्रकार के परिवर्तन व धरोहर राशि में वृद्धि किये जाने अथवा स्वीकृति / अस्वीकृति एवं किसी प्रकार के विवाद के लिए अन्तिम निर्णय लिये जाने का अधिकार माननीय जिला जज, संत कबीर नगर के अधीन सुरक्षित होगा, जो सभी को मान्य होगा।

Shikha Rani 19.3.21

(शिखा रानी जायसवाल)
सदस्य नीलामी समिति/
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
संत कबीर नगर।

19/03/21

(दीप कान्त मणि)
सदस्य नीलामी समिति/
अपर जिला जज, पॉक्सो-प्रथम
संत कबीर नगर।

19/3/21

(राकेश पाण्डेय)
अध्यक्ष नीलामी समिति/अपर जिला जज,
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट,
संत कबीर नगर।

1.

कार्यालय केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय संत कबीर नगर।

जनपद न्यायालय परिसर संत कबीर नगर में अस्थाई दुकानों की नीलामी की शर्तें

1. **दुकान जहाँ स्थित है के अस्थायी संचालन के लिए अनुज्ञाप्ति पर दिये जाने हेतु नीलामी वित्तीय वर्ष 2021-2022 तक के लिए होगी।** दुकानों की नीलामी प्रक्रिया बोली के माध्यम से **दिनांक-24.03.2021** को अपरान्ह **02.00** बजे जनपद न्यायालय भवन संत कबीर नगर में स्थित सभागार कक्ष में प्रारम्भ की जायेगी।
2. सभी दुकानों की अलग-अलग नीलामी के लिए बोली बोलने वाले व्यक्ति को नीलामी में भाग लेने हेतु अग्रिम जमानत राशि अखबार में दी गयी सूचना के आधार पर जमा करनी होगी, जो नीलामी समाप्त होने पर, नीलामी में असफल व्यक्ति को नीलमी समिति के आदेश से नियमानुसार वापस कर दी जायेगी।
3. **नीलामी में भाग लेने हेतु प्रत्येक इच्छुक व्यक्ति को निर्धारित धरोहर धनराशि के साथ सादे कागज पर आवेदन पत्र व अपना आधार कार्ड, पहचान पत्र तथा निवास प्रमाण पत्र जो प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा निर्गत किया गया हो, जनपद न्यायालय संत कबीर नगर के नजारत अनुभाग में उपस्थित होकर दिनांक 23.03.2021 को अपरान्ह 5.00 बजे तक प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी**
4. अस्थायी दुकानों को जिस प्रयोजन हेतु आवंटित किया जायेगा उसका प्रयोग उसी कार्य के लिए किया जायेगा।
5. ठेकेदार को प्रत्येक दुकान हेतु निर्धारित भूमि में ठेका अवधि के लिए अस्थायी दुकान का निर्माण अपने व्यय पर कराना होगा तथा ठेका अवधि समाप्त होने पर उक्त अस्थायी निर्माण को अपने व्यय पर हटाना होगा। **ग्राहको की सुविधा एवं भीड़-भाड़ से सुरक्षा के दृष्टिगत ठेकेदार को दुकानों का अस्थायी निर्माण खड़न्जा रास्ता से दक्षिण तरफ 08 फीट जगह रिक्त रखते हुए करना अनिवार्य होगा।**
6. नीलामी उपरोक्त स्वीकृत होने पर नीलामी स्थल पर ही तुरन्त नीलामी राशि का 50 प्रतिशत जमा करना होगा जिसे किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा यदि उक्त 50 प्रतिशत की धनराशि नीलामी स्थल पर जमा नहीं किया जायेगा तो जमानत के रूप में जमा धनराशि सरकार के पक्ष में जब्त कर लिया जायेगा एवं संबंधित नीलमी निरस्त करके ठेके के आवंटन की प्रक्रिया पुनः प्रारम्भ की जायेगी।
7. जिला जज संत कबीर नगर को नीलमी स्वीकार करने व निरस्त करने एवं नीलमी की तिथि को परिवर्तित करने का अधिकार पूर्ण रूप से सुरक्षित होगा।
8. दुकानों में विद्युत उपभोग किये जाने के लिए विद्युत विभाग से स्वयं से विद्युत संयोजन लेकर विद्युत का उपभोग किया जायेगा उससे संबंधित मासिक किराया प्रत्येक माह में जमा करते हुए रशीद की क्षायाप्रति न्यायालय के केन्द्रीय नजारत अनुभाग में जमा करना अनिवार्य होगा। किसी भी स्थिति में दुकानों के संचालक द्वारा लगाये गये विद्युत मीटर को विद्युत विभाग को समर्पित करते हुए अदेयता प्रमाण पत्र की प्रति जनपद न्यायालय संत कबीर नगर के नजारत अनुभाग में प्रस्तुत करना होगा।
9. जनपद न्यायालय संत कबीर नगर प्रशासन को बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी कार्य दिवस में कार्यावधि के दौरान दुकानों के स्थल का भौतिक निरीक्षण करने का अधिकार होगा
10. सेवा प्रदाता उक्त दुकानों में कोई अवैध, अनैतिक या विधि विरूद्ध कार्य नहीं करेगा अन्यथा अनुबन्ध तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
11. ठेकेदार द्वारा दुकान के आस-पास की साफ-सफाई स्वयं करायी जायेगी तथा दुकानों के आस-पास पूर्ण रूप से साफ-सफाई रखनी होगी तथा कूड़ा आदि के लिए कूड़ेदान आदि की स्वयं व्यवस्था करनी होगी। ठेकेदार को निर्धारित प्रतिभूत (सिक्योरिटी) इस आशय के साथ जमा करना होगा यदि ठेकेदार सफाई करने में असमर्थ पाया जाता है तो न्यायालय द्वारा सफाई को संपादित कराकर जमा प्रतिभूत की धनराशि में से 100/- रूपये प्रतिदिन की दर से सफाई कर्मचारी के पारिश्रमिक का भुगतान कर दिया जायेगा। यदि नीलामी की अवधि में न्यायालय को सफाई कराने की कोई व्यवस्था नहीं करनी पड़ती है तो सिक्योरिटी की जमा धनराशि नीलामी समाप्त होने पर सम्बन्धित ठेकेदार को वापस कर दी जावेगी।
12. दुकानों में बिक्री की जाने वाली प्रत्येक खाद्य एवं पेय सामग्री खाद्य अपमिश्रण एक्ट के मानको के अनरूप गुणवत्ता के साथ निर्मित करके बिक्री की जावेगी तथा माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र सं० 139 दिनांकित 18.03.1979 मे दी गयी शर्तो के अनुसार उनकी बिक्री दर प्रभारी अधिकारी नजारत से स्वीकृत कराने के पश्चात् मूल्य सूची का लगाया जाना अनिवार्य होगा। दुकानें प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 9.30 बजे से खुलकर सायं 5.00 बजे बन्द होगी। उक्त निर्धारित अवधि के उपरान्त दुकानों से सम्बन्धित कोई भी कार्यकर्ता एवं ठेकेदार दुकान अथवा परिसर में उपस्थित नहीं रहेगा।
13. दुकोनों में रखे जाने वाले खाद्य पदार्थों की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं दुकान के संचालक की होगी तथा जनपद न्यायालय संत कबीर नगर किसी भी दशा में चोरी, सेंध, आग या किसी अन्य घटना, आदि कोई भी हो के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

14. जिस व्यक्ति द्वारा नीलामी उपरोक्त लिया जावेगा उसे अपने व्यय पर **माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र सं० 31/एस दिनांकित 16.03.1988** मे दी गयी शर्तो के अनुसार दुकानदार को बोली के पश्चात रू० 100.00 मूल्य के स्टैम्प पर ठेके की सभी शर्तों का एक अनुबन्ध पत्र कब्जा प्राप्त करने की तिथि को निष्पादित करना होगा कि वह दी गयी सभी शर्तों के अन्तर्गत नीलामी चलाने में असमर्थ पाया जाता है तो उसे निरस्त करते हुए कब्जा वापस ले लिया जावेगा तथा उन परिस्थितियों में उसके द्वारा जमा की गयी कुल धनराशि जब्त किये जाने में उसे कोई आपत्ति नहीं होगी।

15. नीलामी उपरोक्त दिनाँक 01.04.2021 से 31.03.2022 के लिए वैध होगा। ठेकेदार को अपना फोटो, पहचान पत्र,स्थायी व पत्र व्यवहार का पता एवं कार्यरत् कर्मचारियों के नाम पते के विवरण सहित उनका पहचान पत्र, पता मय फोटो कब्जा लेने की तिथि को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।उक्त दुकानों में किसी प्रकार का कोई फर्नीचर आदि न्यायालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जायेगा, उसकी व्यवस्था ठेकेदार द्वारा स्वयं की जावेगी।

16. ठेकेदार व दुकान में कार्यरत् कर्मचारियों को सभी के साथ अपना व्यवहार समान एवं विनम्र रखना होगा। यदि उनके व्यवहार की कोई शिकायत माननीय जिला जज, एवं प्रभारी अधिकारी नजारत को दी जाती है तो माननीय जिला जज, संत कबीर नगर का निर्णय सम्बन्धित ठेकेदार को मान्य होगा जो कि नीलामी निरस्त की सीमा तक हो सकता है एवं उक्त स्थिति में जमा धनराशि को जब्त भी किया जा सकता है।

17. ठेकेदार को उक्त दुकानों के ठेके को शिकमी किरायेदारी पर देने का अधिकार नहीं होगा, यदि ठेकेदार उक्त नीलामी किसी अन्य व्यक्ति को शिकमी किरायेदारी पर देता है तो उसकी नीलामी निरस्त करते हुये उसके द्वारा जमा की गयी सम्पूर्ण धनराशि सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जावेगी एवं दुकान का कब्जा वापस ले लिया जावेगा।

18. ठेकेदार दुकान चलाने के लिए किसी अवांछनीय अपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को नहीं रखेगा। यदि ठेकेदार द्वारा उपरोक्त से सम्बन्धित नियुक्त किसी व्यक्ति को इस न्यायालय के अधिकारियों द्वारा अपने व्यवहार या अन्य किसी कारण से अवांछनीय पाया जाता है तो ऐसे व्यक्ति को तात्कालिक प्रभाव से सम्बन्धित ठेकेदार को हटाना होगा।

19. यदि ठेकेदार द्वारा दी गयी शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लघंन किया जाता है तो ठेकेदार का नीलामी निरस्त करते हुये उसके द्वारा जमा की गयी सम्पूर्ण धनराशि सरकार के पक्ष में जब्त की जा सकती है एवं ठेके का कब्जा वापस लिया जा सकता है।

20. वैश्विक महामारी कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार को देखते हुए सभी व्यक्तियों शारीरिक दूरी बनाये रखना अनिवार्य होगा। नीलामी प्रक्रिया में सम्मिलित होने वाले सभी व्यक्तियों को मास्क का प्रयोग करना अनिवार्य होगा। सभी व्यक्तियों को थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति होगी। किसी भी अस्वस्थ व्यक्ति को नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने की कदापि अनुमति नहीं होगी। इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, राज्य सरकार व केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।

19.03.21

(शिखा रानी जायसवाल)
सदस्य नीलामी समिति/
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
संत कबीर नगर।

19/03/21

(दीप कान्त मणि)
सदस्य नीलामी समिति/
अपर जिला जज, पॉक्सो-प्रथम
संत कबीर नगर।

19/3/21

(राकेश पाण्डेय)
अध्यक्ष नीलामी समिति/अपर जिला जज,
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट,
संत कबीर नगर।

संलग्नक-2

कार्यालय केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय संत कबीर नगर।

जनपद न्यायालय परिसर संत कबीर नगर में वाहन स्टैण्ड की नीलामी की शर्तें

1. **वाहन स्टैण्ड संचालन के लिये वित्तीय वर्ष 2021-22 तक अनुज्ञप्ति पर देने हेतु नीलाम की जायेगी।** वाहन स्टैण्ड की नीलामी प्रक्रिया बोली के माध्यम से दिनाँक **24.03.2021** को अपराह्न **02.30** बजे जनपद न्यायालय संत कबीर नगर में स्थित सभागार कक्ष में की जायेगी।
2. अनुबन्धकर्ता को निविदा स्वीकृत होने पर स्वीकृत धनराशि का 50 प्रतिशत तत्काल केन्द्रीय नजारत अनुभाग में जमा किया जाना आवश्यक होगा।
3. **नीलामी में भाग लेने हेतु प्रत्येक इच्छुक व्यक्ति को निर्धारित धरोहर धनराशि के साथ सादे कागज पर आवेदन पत्र व अपना आधार कार्ड, पहचान पत्र तथा निवास प्रमाण पत्र जो प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा निर्गत किया गया हो, जनपद न्यायालय संत कबीर नगर के नजारत अनुभाग में उपस्थित होकर दिनांक 23.03.2021 अपराह्न 05.00 बजे तक जनपद न्यायालय संत कबीर नगर के नजारत अनुभाग में जमा किया जा सकता है।**
4. नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को आवेदन पत्र के साथ अपने आधार कार्ड/मतदाता पहचान/ड्राइविंग लाइसेंस की एक छायाप्रति संलग्न करनी होगी।
5. उक्त स्टैण्ड की नीलामी में जिस बोली बोलने वाले व्यक्ति की अन्तिम बोली स्वीकार की जायेगी, उसे बोली की 50 प्रतिशत धनराशि तुरन्त जमा करनी होगी। सफल व्यक्ति की नीलामी की शेष 50 प्रतिशत धनराशि में से 25 प्रतिशत धनराशि नीलामी के दस दिवस के अंदर जमा करनी होगी। कब्जा लेने से पूर्व जमा करनी अनिवार्य होगी तथा शेष 25 प्रतिशत धनराशि कब्जा लेने के 45 दिवस की अवधि के अन्दर जमा करनी होगी, अन्यथा बोली निरस्त करके अग्रिम जमानत की धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा पहले से जमा 50 प्रतिशत धनराशि भी नीलामी समिति के विवेकानुसार जब्त की जा सकती है।
6. अन्य व्यक्तियों से अनुबन्धकर्ता रुपया 5.00 प्रति साईकिल, रूपया 10.00 प्रति स्कूटर/मोटर साइकिल तथा रूपया 20.00 प्रति कार की दर से वसूलेगा। साइकिल हेतु मासिक पास रूपया 50.00 प्रतिमाह, स्कूटर/मोटर साइकिल हेतु रूपया 100.00 प्रतिमाह तथा कार हेतु रूपया 150.00 प्रतिमाह की दर से जारी किया जा सकता है तथा विशेष परिस्थितियों व समय-समय पर उपरोक्त दर वृद्धि, समिति द्वारा की जा सकती है।
7. अनुबन्धकर्ता को वाहन रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उचित टोकन देना होगा।
8. पार्किंग व स्टैण्ड में वाहनों की सुरक्षा अनुबन्धकर्ता द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। पार्किंग व स्टैण्ड से चोरी गये वाहन का या वाहन के किसी प्रकार की क्षति पहुँचने पर पूर्णतः दायित्व अनुबन्धकर्ता का होगा।
9. अनुबन्धकर्ता को अपने नाम, पता एवं कार्यरत कर्मचारियों के नाम व मोबाइल नम्बर स्टैण्ड खुलने एवं बन्द होने के समय का बोर्ड स्टैण्ड पर लगाना होगा।
10. अनुबन्धकर्ता स्टैण्ड चलाने के लिये किसी अवांछनीय/आपराधिक किस्म के व्यक्ति को नहीं रखेगा। यदि अनुबन्धकर्ता द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति अपने व्यवहार या अन्य किसी कारण से अवांछनीय पाया जायेगा तो ऐसे व्यक्ति को अनुबन्धकर्ता को हटाना होगा।
11. अनुबन्धकर्ता को अपना व्यवहार विनम्र रखना होगा। यदि उसके व्यवहार में कोई शिकायत प्रभारी अधिकारी (नजारत) के पास की जाती है तो प्रभारी अधिकारी (नजारत) का निर्णय अनुबन्धकर्ता को मान्य होगा, जो कि अनुबन्ध निरस्त किये जाने तक हो सकता है। ऐसे हालात में उसके द्वारा जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगा।
12. अनुबन्धकर्ता को सम्बन्धित स्टैण्ड को शिकमी किरायेदारी पर देता है तो उसका अनुबन्ध रद्द कर दिया जायेगा। उसके द्वारा जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा स्टैण्ड का कब्जा ले लिया जायेगा।
13. अनुबन्धकर्ता को स्टैण्ड साफ-सुथरा रखना होगा। अनुबन्धकर्ता को निर्धारित सिक्योरिटी की धनराशि इस आशय से जमा करना होगा कि यदि अनुबन्धकर्ता सफाई कराने में असमर्थ पाया जाता है तो न्यायालय स्वयं सफाई करायेगा तता अनुबन्धकर्ता द्वारा जमा की गयी उक्त सिक्योरिटी में से रूपया 100.00 प्रतिदिन की दर से सफाई कर्मचारी को भुगदान कर देगा। यदि अनुज्ञप्ति की अवधि में अनुबन्धकर्ता स्वयं सफाई की व्यवस्था बनाये रखता है तथा न्यायालय को सफाई कराने की कोंई व्यवस्था नहीं करनी पड़ती है तो जमा सिक्योरिटी अनुबन्ध समाप्त होने पर अनुबन्धकर्ता को वापस कर दी जायेगी।
14. प्रत्येक कार्य दिवस पर अनुबन्धकर्ता को स्टैण्ड नियमित रूप से सुबह 9.30 बजे से शाम 6.00 बजे तक खोलना होगा। किसी कारणवश वह किसी दिन स्टैण्ड खोलने में असमर्थ होता है तो इस आशय की पूर्व सूचना कारण सहित केन्द्रीय नजारत अनुभाग को भेजनी होगी तथा स्टैण्ड के नोटिस बोर्ड पर इस आशय की सूचना देनी होगी। यदि बिना किसी पूर्व सूचना अथवा स्वीकृति के स्टैण्ड बन्द रखा जाता है तो अनुबन्द समाप्त कर दिया जायेगा तथा अनुबन्धकर्ता द्वारा जमा की गयी धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा अनुबन्धकर्ता से स्टैण्ड का कब्जा ले लिया जायेगा।

क्रमशः

15. जिस व्यक्ति को अनुबन्ध के लिये उपयुक्त पाया जायेगा उसे **माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र सं० 31/एस दिनांकित 16.03.1988** मे दी गयी शर्तो के अनुसार दुकानदार को बोली के पश्चात रू० 100.00 मूल्य का एक अनुबन्ध पत्र अनुबन्ध निर्गत की तिथि से एक सप्ताह के भीतर निष्पादित करना होगा। यदि वह ऐसा करने में असमर्थ पाया जाता है तो अनुबन्ध रद्द कर दिया जायेगा तथा स्टैण्ड का कब्जा वापस ले लिया जायेगा। इन परिस्थितियों में उसके द्वारा जमा की गयी कुल धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
16. उपरोक्त नियमों एवं शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने की स्थिति में अनुबन्धकर्ता का अनुबन्ध निरस्त करते हुये उसके द्वारा जमा धनराशि जनपद न्यायालय संत कबीर नगर के पक्ष में जब्त की जा सकती है एवं स्टैण्ड का कब्जा वापस लिया जा सकता है।
17. नीलामी की उपरोक्त शर्तों में परिवर्तन या परिवर्धन करने का अधिकार जनपद न्यायाधीश, संत कबीर नगर को सुरक्षित रहेगा।
18. नीलामी के सम्बन्ध में किसी प्रकार की जानकारी व नियम व शर्तें जनपद न्यायालय के नजारत अनभाग से किसी भी कार्य दिवस में पूर्वह्न 10.30 बजे से शाम 3.00 बजे तक प्राप्त की जा सकती है।
19. वैश्विक महामारी कोविड-19 के प्रभाव व प्रसार को देखते हुए शारीरिक दूरी बनाये रखना अनिवार्य होगा। नीलामी में सम्मिलित सभी व्यक्तियों को मास्क का प्रयोग करना आवश्यक होगा तथा थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति होगी। किसी भी अस्वस्थ व्यक्ति को नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने की कदापि अनुमति नहीं होगी। इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद , राज्य सरकार व केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।

Shikha Rani 19.03.24

(शिखा रानी जायसवाल)
सदस्य नीलामी समिति/
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
संत कबीर नगर।

19/03/24

(दीप कान्त मणि)
सदस्य नीलामी समिति/
अपर जिला जज, पॉक्सो-प्रथम
संत कबीर नगर।

19/3/24

(राकेश पाण्डेय)
अध्यक्ष नीलामी समिति/अपर जिला जज,
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट,
संत कबीर नगर।